कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार,
राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल,
सरदार पटेल मार्ग, जयपुर - 302008
O/o The Chief General Manager Telecom
Rajasthan Telecom Circle,
Sardar Patel Marg, Jaipur - 302 008

भारत संचार निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
(A Govt. of India Enterprises)

क्रमांक:- निरीक्षण/पेंशनर्स/सामान्य/2018-19/28 दिनांक : 10-01-2019

सेवामे,

AO (IA)
O/o CGMT, **Jhalana Doongari, Jaipur.**

विषय - पेंशन संबन्धित मामलो को समयबद्ध रूप से पूरा करने के क्रम में |

उपरोक्त विषय मे लेख है राजस्थान टेलिकॉम सर्कल से सेवानिवृति होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पेंशन संबन्धित मामले समय पर सीसीए कार्यालय नहीं पहुँच रहे है। पेंशन संबन्धित मामले सीसीए पेंशन नियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृति से 6 माह पूर्व नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, जयपुर पहुँच जाने चाइए | तथा सेवानिवृति के मामले 3 माह एवं मृत्यु/स्वैछिक सेवानिवृति मामलो मे 6 माह से अधिक देरी के उपरांत पेंशन ब्याज सहित पेंशनर्स को देने का प्रावधान है |

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आपको पेंशन संबन्धित मामलो को एसएसए से समन्वय करके समय पर सीसीए कार्यालय को भिजवाने हेतु सुनिश्चित करें। जिससे पेंशन संबन्धित सेवानिवृति के मामले 3 माह एवं मृत्यु/स्वैछिक सेवानिवृति 6 माह से अधिक देरी के उपरांत पेंशन ब्याज की ज़िम्मेदारी से बचा जावे। अतः राजस्थान टेलिकॉम सर्कल से बीएसएनएल मे अमेलित सेवानिवृति होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आगामी वर्षो की सूची आपके मेल आईडी caopntaudit@gamail.com पर भेजी जा रही है।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जावे |
यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है

10.01.2019
सहायक महा प्रबन्धक (भर्ती एवं स्थापना)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु : -
उ.म.प्र. (वित्त लेखा-II) परिमण्डल कार्यालय, जयपुर।